# न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

| प्रकरण संख्या | रजि० नं0 2023 / | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 11 / 27 / 2024 | 2025 / 81 | 11.02.2025 | 19.02.2025 |

1– रामकिशोर पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

2– सावत्री पुत्री मुखराम पत्नि सुमेरसिंह,

3– नरेश पुत्री मुखराम पत्नि राजेन्द्र जाति मेघवाल निवासीयान ग्राम जेतरावास तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास हाल मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

2– भतेरी पुत्री दयाला पत्नि प्यारेलाल जाति मेघवाल निवासी हाल जेतरावास तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

3– हेमन्त पुत्र ताराचन्द पोत्र दयाला जाति मेघवाल निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास हाल मुण्डावर दिनाक 18.10.1972 नामान्तकरण संख्या 469 वाके ग्राम ततारपुर तहसील किशनगढबास हाल मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री अब्दुल खान (कलाम) –वकील अपीलान्ट
02. श्री रविन्द्र शर्मा –वकील रेस्पोडेन्टान

## –:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास हाल मुण्डावर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 469 निर्णय दिनांक 18.10.1972 वाके ग्राम ततारपुर तहसील किशनगढबास हाल मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि मिन अपीलान्ट के पिता मुखराम पुत्र साधूराम जाति मेघवाल निवासी ततारपुर की कृषि भूमि आराजी खसरा न0 1589 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, हम अपीलान्ट के पिताजी मृतक मुखराम पुत्र साधूराम का देहान्त दिनाक 17.07.1966 को हो गया उसके बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 469 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर रेस्पोडेन्टान के नाम मंजूर किया गया है, मृतक मुखराम के वारिसान का सर्जरा निम्नप्रकार है, साधूराम (दादा), मुखराम (मृतक) (पुत्र) रामकिशोर (पुत्र) सावत्री (पुत्री) नरेश (पुत्री) एवं दयाला मृतक (पुत्र) ताराचन्द (पुत्र) भुतेरी पुत्री हेमन्त (पोत्र) मृतक मुखराम पुत्र साधूराम के हम अपीलानटान जायज व विधिक वारिसान थे, लेकिन मुखराम पुत्र साधूराम की मृत्यू के समय हम

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

अपीलान्टान नाबालिग थे, तथा अपीलान्टान के मृतक पिता मुखराम की मृत्यू के पश्चात परिवार का मुख्या रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दादा दयाला पुत्र साधूराम जो कि अपीलान्ट के चाचा है, जो परिवार में कर्ताधर्ता व परिवार के मुखिया रहे जो मृतक मुखराम का छोटा भाई व साधूराम का लडका था जो चतुर व चालाक व्यक्ति था जो यह जानता था कि मृतक मुखराम के हम अपीलान्टान विधिक व जायज वारिसान है, लेकिन हम अपीलान्टान के वारिस होने के तथ्य को छुपाते हुए व अपीलान्टान के नाबालिग होने का बेजा फायदा उठाते हुए गलत रूप से अपने नाम मृतक मुखराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 469 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर दर्ज व मंजूर कराया गया है, अपीलान्टान के पिता की मृत्यू के करीब 6 वर्ष पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दादा दयाला ने राजस्व कर्मचारीयो से साजबाज होकर मिलीभगत कर अपने आपको मृतक मुखराम पुत्र साधूराम का पुत्र बताते हुए मृतक मुखराम का विरासत का नामान्तकरण संख्या 469 हम अपीलान्टान के नाम को छुपाते हुए व नाबालिग होने का नाजायज फायदा उठाते हुए दयाला ने अपने नाम नामान्तकरण संख्या 469 स्वीकार दिनाक 18.10.1972 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से स्वीकार करा लिया जबकि दयाला मिन अपीलान्टान के मृतक पिता मुखराम का भाई था, व साधूराम का पुत्र था। लेकिन दयाला ने गलत रूप से अपने नाम मुखराम की विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल दरामद किया। दयाला पुत्र साधूराम की मृत्यू दिनाक 03.05.2011 को हो चूकि है, जिसके रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 3 असल वारिसान है। रेस्पोडेन्ट के पिता/दादा दयाला जो मुखराम का सगा भाई था न कि पुत्र लेकिन दयाला राम ने चालाकी से स्वयं को मुखराम का वारिस बताकर नामान्तकरण दर्ज कराकर विरासत का नामान्तकरण संख्या 469 मंजूर कराया है। जबकि दयालाराम साधूराम का पुत्र था, दयाला द्वारा स्वंय को मुखराम का वारिस बताकर नामान्तकरण दर्ज करवाया गया है, जबकि दयाला का मुखराम की विरासत से कोई सरोकार व संबंध न तो था न ही है। मुखराम के जायज व विधिक वारिसन हम अपीलान्टान है। तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण मुखराम की विरासत का है, मृतक मुखराम के विधिक वारिसान हम अपीलान्टान है, व मृतक की आराजी पर लगातार व शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, एवं मौके पर वास्तविक कब्जा है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय वारिसान व आराजी के कब्जा के बाबत किसी प्रकार की जॉच नही की गयी है। नामान्तकरण संख्या 469 के आधार पर जमाबन्दी में दयाला पुत्र मुखराम का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है, जिससे अपीलान्ट के हिता पर भारी कुठाराधात होता है। इस लिए अपीलान्ट आलोच्य नामान्तकरण से दयाला पुत्र मुखराम को हजफ कराकर स्वंय के नाम कराने का अधिकारी है। मुताबिक नामान्तकरण संख्या 469 में केवल मुखराम के फोत होना दर्ज हुआ है। मगर यह तस्दीक नही हुआ है, कि दयाला ही मुखराम का वारिस है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.06.2020 की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, जानकारी होने पर कानूनी सलाह व आवश्यक ईन्तजाम कर बिना देरी के यह अपील मिन अपीलान्ट द्वारा पेश की गयी है, अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु अपील के साथ प्रर्थक से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.06.2020 नामान्तकरण संख्या 995 वाके ग्राम डोटाना तहसील तिजारा निरस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, मिन अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के हरिजन व्यक्ति है, कानून की पूर्ण जानकारी नही थी, मिन अपीलान्ट दिनाक 21.06.2024 को अपीलान्ट की आराजी के विस्तार हेतु किसान केडिट कार्ड बनवाने लगा तो पटवारी से नामान्तकरण इन्द्राज की बाबत जानकारी हुई इससे पूर्व कोई जानकारी नही थी, दिनाक 24.06.2024 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त की वकील से कानूनी सलाह प्राप्त कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है, अपील किये जाने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने हेतु अपील के साथ पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 18.10.1972 नामान्तकरण संख्या 469 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो के सर्मथन में जवाब पेश करते हुए पक्षकान द्वारा एक राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 3 के द्वारा एक शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया है, कि उक्त अनवानी प्रकरण में हम पक्षकारान का आपस में राजीनाम हो गया है, अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 के मृतक पिता मुखराम पुत्र साधूराम की आराजी कृषि भूमि का विरासत का नामान्तकरण संख्या 469 दिनाक 18.10.1972 वाके ग्राम ततारपुर तहसील किशनगढबास हाल मुण्डावर जो मुखराम के भाई दयाला पुत्र साधूराम के नाम दर्ज हो गया था, दयाला अपीलान्टान के मृतक पिता मुखराम का लडका नही था भाई था, व अपीलान्टान का चाचा व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 का पिताजी व 3 का दादाजी था। दयाला के नाम अपीलान्टान के मृतक पिता मुखराम का विरासत नामान्तकरण सहवन से गलत दर्ज किया गया था। मुखराम के असल वारिसान अपीलान्टान संख्या 1 लगायत 3 है। यदि अपीलान्टान के नाम मृतक मुखराम पुत्र साधूराम की विरासत का नामान्तकरण दर्ज व मंजूर कर दिया जाता है, तो रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 3 को कोई आपत्ति नही है। प्रकरण का विधिवत निस्तारण किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट/रेस्पोडेन्टान की वहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर नामान्तकरण संख्या 469 दिनांक 18.10.1972 के विरूद्व दिनाक 01.07.2024 को पेश की गयी है, जो करीब 52 वर्ष पश्चात पेश की गयी है। जो अत्याधिक विलम्व से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 18.10.1972 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 21.06.2024 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, साथ ही प्रस्तुत अपील का विधिवत निस्तारण हम केवल दफा 5 के आधार पर किया जाना उचित नही समझते है, हम अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि मिन अपीलान्ट के पिता मुखराम पुत्र साधूंराम जाति मेघवाल निवासी ततारपुर की कृषि भूमि आराजी खसरा न0 1589 रकबा 2 वीघा 05 विस्वा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, अपीलान्ट के पिताजी मृतक मुखराम पुत्र साधूराम का देहान्त दिनाक 17.07.1966 को हो गया उसके बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 469 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर दर्ज कर रेस्पोडेन्टान के नाम मंजूर किया गया है। मृतक मुखराम पुत्र साधूराम के अपीलान्टान जायज व विधिक वारिसान थे, लेकिन मुखराम पुत्र साधूराम की मृत्यू के समय अपीलान्टान नाबालिग थे, तथा अपीलान्टान के मृतक पिता मुखराम की मृत्यू के पश्चात परिवार का मुखीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दादा दयाला पुत्र साधूराम जो कि अपीलान्ट के चाचा है, जो परिवार में कर्ताधर्ता व परिवार के मुखिया रहे जो मृतक मुखराम का छोटा भाई व साधूराम का लडका था, जो चतुर व चालाक व्यक्ति था जो यह जानता था कि मृतक मुखराम के अपीलान्टान विधिक व जायज वारिसान है, लेकिन अपीलान्टान के वारिस होने के तथ्य को छुपाते हुए व अपीलान्टान के नाबालिग होने का बेजा फायदा उठाते हुए गलत रूप से अपने नाम मृतक मुखराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 469 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर दर्ज व मंजूर कराया गया है, रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो के सर्मथन में जवाब पेश करते हुए पक्षकान द्वारा एक राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 3 के द्वारा एक शपथ–पत्र पेश कर यदि अपीलान्टान के नाम मृतक मुखराम पुत्र साधूराम की विरासत का नामान्तकरण दर्ज व मंजूर कर दिया जाता है, तो रेस्पोडेन्टान

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

संख्या 2 व 3 को कोई आपत्ति नही है, पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस निर्देश के साथ तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है, की पक्षकारान को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पेश किये राजीनाम में वर्णित तथ्यो/वारिसान की पुनः विधिसम्मत जॉच कर अधिकतम दो माह में निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 18.10.1972 नामान्तकरण संख्या 469 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)